

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर**

// आदेश //

क्रमांक **B/1640** / चार-9-30 / 10

जबलपुर, दिनांक **19** / 03 / 2021

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2446/21-ब(एक) दिनांक 15.04.2019 में दिये गये स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में श्री उदय चंद जैन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (वर्तमान में सेवा निवृत्त) का चयनग्रेड वेतनमान में रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4170 दिनांक 16.08.2010 को किये गये वेतन निर्धारण को एतद् द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है:-

चयनग्रेड वेतनमान 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को एंट्री वेतन 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्राप्त वेतन व दिनांक व चयनग्रेड वे०मा० में आगामी वे०वृ० का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4
26.02.2006	<u>61690.00</u> 01.01.2006 (पुनरीक्षित) 19.05.2006 19.05.2007 19.05.2008 19.05.2009 19.05.2010	63070.00  64450.00 65830.00 67210.00 68750.00 70290.00	26.02.2006  01.05.2006 01.05.2007 01.05.2008 01.05.2009 01.05.2010
<b>दिनांक 31.12.2011 को सेवानिवृत्त</b>			

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

**sd/**  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक **19/03/2021**

पृष्ठांकन क्रमांक **B/1641** / चार-9-30 / 10  
प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर/खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री उदय चंद जैन, सेवा निवृत्त विशेष न्यायाधीश, 654-ए महालक्ष्मी नगर, बाम्बे अस्पताल के पास, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन

**12/5/21**  
**18.3.2021**  
रजिस्ट्रार (एम)